इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स का मासिक न्यूज़लेटर प्रति वर्ष ४०/रुपये
(आईएसओ ९००१ : २००८ प्रमाणित संगठन)

आईआईबीएफ विज़न

व्यावसायिक उत्कृष्टता
के प्रति प्रतिबद्ध

खंड सं. : V अंक सं. :१२ जुलाई, २०१५ पृष्ठों की सं १८

संस्थान (इंस्टिट्यूट) का ध्येय (मिशन) "प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श / सलाह और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से व्यावसायिक रूप से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना है।"

विषय-सूची

मौद्रिक नीति ----------२
बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां----------२
बैंकिंग जगत की घटनाएं---------- ४
विनियामकों के कथन ---------- ९
बीमा ---------- १०
अर्थव्यवस्था---------- ११
नयी नियुक्तिया / उत्पाद एवं गठजोड ---------- १२
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी / शब्दावली ---------- ------१३
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां----------१४
संस्थान समाचार----------१४
बाज़ार की खबरें----------१७

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना / समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों / मीडिया में प्रकाशित हो चुकी / चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की / किए जा रही / रहे हैं। उक्त सूचना / समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित / उल्लिखित घटनाएं सम्बन्धित स्रोत द्वारा यथा अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स समाचार मदों / घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सूचना की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी प्रकार से न तो उत्तरदायी है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

२रा द्विमासिक माद्रिक नीति वक्तव्य : २ जून, २०१५

- चलनिधि समायोजन सुविधा (LAF) के तहत नीतिगत पुनर्खरीद (repo) दर ७.०% से २५ आधार अंक घटाकर तात्कालिक प्रभाव से ७.२५% की गई।

- अनुसूचित बैंकों का आरक्षित नकदी निधि अनुपात (CRR) निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) के ४.०% पर अपरिवर्तित बना रहा।

- एक-दिवसीय पुनर्खरीदों के तहत चलनिधि समायोजन सुविधा की पुनर्खरीद दर पर बैंक-वार निवल मांग एवं सावधि देयताओं के ०.२५% की दर से चलनिधि और १४ दिवसीय मीयादी पुन र्खरीदों तथा उनके साथ ही अपेक्षाकृत लम्बी मीयाद वाली पुनर्खरीदों के तहत नीलामियों के माध्यम से बैं किंग प्रणाली की निवल मांग एवं सावधि देयताओं के ०.७०% तक की चलनिधि उपलब्ध कराना; और

- चलनिधि की स्थिति सहज बनाने हेतु एक-दिवसीय / परिवर्ती दर वाली मीयादी पुनर्खरीद एवं प्रति-पुनर्खरीद दरों का जारी रखा जाना।

- मार्च, २०१५ के दूसरे पखवाड़े में अग्रिम कर प्रवाहों तथा बैंकों के वित्तीय वर्ष के समापन वाले व्यवहारों के कारण कठोरता के पश्चात् चलनिधि की स्थितियां अप्रैल, २०१५ में सहज हो गई। रिज़र्व बैंक के चलनिधि प्रबन्धन के परिचालनों को अप्रैल के दौरान चलनिधि की स्थितियों में आए सुधार को ध्यान में र खते हुए वापस ले लिया गया। हालांकि, मई के दौरान संचलन में मुद्रा में हुई तीव्र वृद्धि तथा सरकार की शेषराशियों के जमावड़े के परिणामस्वरूप चलनिधि की स्थितियां पुन: कठोर हो गईं।

बैंकिंग से सम्बन्धित नीतियां

गैर-कार्यपालक निदेशकों के वेतन पैकेज़ के सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने निदेशक मंडलों को निजी बैंकों के गैर-कार्यपालक निदेशकों (अंशकालिक अध्यक्ष को छोडकर) के लिए लाभ-सम्बद्ध कमीशन के रूप में भुगतान सहित एक व्यापक प्रतिकर

(मुआवज़ा) नीति निर्धारित करने की सलाह दी है। हालांकि इसप्रकार का प्रतिकर प्रत्येक निदेशक के मामले में प्रति वर्ष १ मिलियन रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। बैंक कम्पनी अधिनियम, २०१३ के प्रावधानों के अनुपालन की शर्त पर गैर-कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क (सिटिंग फी) का भुगतान कर सकते हैं तथा निदेशक मंडल की एवं अन्य बैठकों में भाग लेने के लिए खर्चों की प्रतिपूर्ति कर सकते हैं। वर्तमान में निजी क्षेत्र के बैंकों के गैर-कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क को छोड़कर कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं मिलता। तथापि, किसी अंशकालिक अध्यक्ष को भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से एक निश्चित पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। अब निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, १९४९ के तहत अंशकालिक अध्यक्ष को पारिश्रमिक का भुगतान करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से पूर्वानुमोदन प्राप्त करना आवश्यक होगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना के सम्बन्ध में उपाय घोषित किए

नयी रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना (SDR) योजना के अधीन बहुसंख्यक हितों के स्वामियों के रूप में बैंक कम्पनी को चलाने के लिए व्यावसायिकों को रख सकते हैं और उसके बाद अपनी प्राप्य राशियों को वसूल करने हेतु हितों को निर्निहित (divest) कर सकते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना को लागू करने के लिए पुनर्संरचित ऋण खाते के पुनरीक्षण की तिथि से ३० दिनों की समय सीमा निर्धारित करने सहित कुछेक उपाय प्रस्तावित किए हैं। सभी ऋण करारों में रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना को लागू करने से सम्बन्धित खण्ड शामिल होंगे। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि 'रणनीतिक ऋण पुनर्सरचना योजना' के तहत किसी कम्पनी के ऋण को पुनर्व्यवस्थित (recast) करने का निर्णय लेने वाले बैंकों के लिए कम्पनी द्वारा जारी इक्विटी शेयरों के ५१% या उससे अधिक धारित करना आवश्यक होगा। उक्त उपाय रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना के सम्बन्ध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा घोषित उन मानदंडों का एक हिस्सा था, जिसमें अशोध्य ऋणों को वसूल करने हेतु ऋणदाताओं के लिए एक अधिक लचीली प्रक्रिया की व्यवस्था है। अब से बैंकों को सभी ऋण करारों में प्रयोज्य मामलों में रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना को लागू करने में समर्थ बनाने हेतु उधारकर्ता कम्पनी से वर्तमान कानूनों / दिशानिर्देशों के अधीन यथा-अपेक्षित आवश्यक अनुमोदनों / प्राधिकरणों (शेयरधारकों द्वारा पारित विशेष संकल्पों सहित) आवश्यक प्रसंविदाओं को शामिल करना चाहिए। संयुक्त देयता मंच (JLF) को रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना के रूपांतरण पैकेज को रणनीतिक पुनर्संरचना योजना आरंभ करने का निर्णय लिये जाने की तिथि से ९० दिनों के भीतर आवश्यक रूप से अनुमोदित कर देना चाहिए। रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना के प्रवर्तन को आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण मानदंडों के उद्देश्य से पुनर्संरचना नहीं माना जाएगा।

बैंकों को अन्य बैंकों के दीर्घावधि बॉण्डों में सशर्त निवेश करने की अनुमति

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को अन्य बैंकों के दीर्घावधि बॉण्डों में निवेश करने की अनुमति ऐसी शर्तों पर दी है जिनके द्वारा बैंकों को किसी बॉण्ड निर्गम के प्राथमिक निर्गम आकार के २०% से अधिक का आबंटन नहीं किया जा सकता। वर्तमान में बैंकों को उनके बीच विशिष्ट रूप से मूलभूत सुविधा और

वहनीय आवास ऋणों के वित्तीयन के लिए जारी दीर्घावधि बॉण्डों को प्रति-धारित करने की अनुमति नहीं है। इस प्रकार के बॉण्डों में बैंकों के निवेश को निवल मांग एवं सावधि देयताओं (NDTL) की गणना करने के उद्देश्य से 'भारत में बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां' नहीं माना जाएगा। इस प्रकार के बॉण्ड 'परिपक्वता तक धारित' निवेश श्रेणी में नहीं रखे जाने चाहिए। इस प्रकार के बॉण्डों के विशिष्ट निर्गम में किसी निवेशकर्ता बैंक के निवेश को उसकी टियर-। पूंजी अथवा निर्गम आकार के ०% , इनमें से जो भी कम हो, तक सीमित रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त किसी निवेशक बैंक की इस प्रकार के बॉण्डों में समग्र धारिता को उसके कुल गैर-सांविधिक चलनिधि अनुपात निवेशों के ।•% तक सीमित र खा जाएगा। यह भी कि बैंक स्वयं अपने बॉण्ड नहीं रख सकते।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बड़े उधारकर्ताओं को मूल्य जोखिम के समक्ष प्रतिरक्षण करने के लिए कहा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को कृषि वस्तु प्रसंस्करणकर्ताओं, व्यापारियों, मिलरों, समाहर्ताआ आदि जैसे बड़े कृषि उधारकर्ताओं को उनके वस्तु मूल्य जोखिमों को व्युत्पन्नियों (derivatives) के उपयोग के साथ प्रतिरक्षित करने हेतु प्रोत्साहित करने की सलाह दी है। बैंक कृषि से सम्बन्धित कार्यकलापों में संलग्न ग्राहकों को कई प्रकार की ऋण सुविधाएं प्रदान करते हैं। कृषि वस्तु की कीमतों में अस्थिरता इस प्रकार के उधाकर्ताओं और बैंकों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती है। अतएव, कृषि वस्तुओं का मूल्य जोखिम के समक्ष प्रतिरक्षण उन दोनों के लिए लाभदायक होगा। वि नियामक ने यह भी कहा है कि व्युत्पन्नियों जैसे प्रतिरक्षण के साधनों का जागरूकता के अभाव या इन साधनों की अनुभूत जटिलता के कारण व्यापक रूप से उपयोग नहीं किया जाता था। बैंकों से उनके ग्राहकों को विविध प्रकार के प्रतिरक्षण साधनों का उपयोग करने की अनुकूलता एवं उपयुक्तता के बारे में शिक्षित करने के लिए कहा गया है, ताकि व्युत्पन्नियों की गलत बिक्री की गुंजाइश को कम करने के अलावा एक सुविज्ञ निर्णय लिया जा सके।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी मुद्रा जुटाने हेतु बैंकों के लिए मानदंड सरल बनाए

विदेशी निधियों की प्राप्ति में अधिक लचीलापन लाने के उद्देश्य से भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारी श्रेणी। वाले बैंकों को अंतरराष्ट्रीय / बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं से मामला-दर-मामला अनुमोदन हेतु रिज़र्व बैंक से संपर्क किए बिना उधार लेने की अनुमति प्रदान कर दी है। इनमें उन अंतरराष्ट्रीय / बहुपक्षीय वित्तीय संस्थाओं का समावेश होगा, जिनकी भारत सरकार एक शेयरधारक सदस्य हो अथवा जिनकी स्थापना एक से अधिक सरकारों द्वारा की गई हो या जिनमें एक से अधिक सरकारों और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों की शेयरधारिता हो। इस प्रकार के उधार सामान्य बैंकिंग व्यवसाय के उद्देश्य से होने चाहिए तथा पूंजी बढ़ाने के लिए नहीं।

बैंकिंग जगत की घटनाएं

वास्तविक ब्याज दरें बहुत अधिक हैं : मुख्य आर्थिक सलाहकार

भारतीय रिज़र्व बैंक की नीतिगत दरों में कटौती की जोरदार वकालत करते हुए मुख्य आर्थिक सलाहकार श्री अरविंद सुब्रह्मण्यम ने कहा है कि वास्तविक ब्याज दरें बहुत ऊंची हैं तथा उन्होंने कम्प नियों के लिए अधिक ऋण की समस्या से निपटना कठिन बना दिया है। "वास्तविक नीतिगत दरें उपभोक्ताओं और निर्माताओं के लिए महत्वपूर्ण रूप से अपसृत हो गई हैं तथा वे निर्माताओं के लिए असामान्य रूप से ऊंची हैं। निर्माताओं के लिए वास्तविक ब्याज दरों को आवश्यक रूप से हमेशा उनके तुलनपत्र से सम्बन्धित समस्याओं के समक्ष देखा जाना चाहिए।" भारतीय रिज़र्व बैंक ने मुद्रास्फीति का ध्यान उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के आधार पर रखा है तथा उसने मूल रूप से मूल्य वृद्धि को नियंत्रित रखने पर ध्यान केन्द्रित रखा है। हालांकि, उसने नीतिगत दरों में जनवरी से तीन श्रृंखलाओं में कुल ५० आधार अंकों की कटौती की है। वर्तमान में पुनर्खरीद (repo) दर ५.२५% है। वास्तविक ब्याज, जो नीतिगत दर घटाएं मुद्रास्फीति होता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीति के आधार पर मूल्य वृद्धि पर विचार करने के बाद व्यापक रूप से परिवर्तित हो जाता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बासेल III के तहत बैंकों के लिए निवल स्थायी निधीयन अनुपात प्रस्तावित किया

भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह प्रस्तावित किया है कि निधीयन के स्रोतों तक निरंतर आधार पर पहुंच बनाए रखने हेतु बैंक बासेल III के दिशानिर्देशों के अधीन न्यूनतम १००% का निवल स्थायी निधीयन अनुपात बनाए रखें। बैंकों को जनवरी, २०१८ से निवल स्थायी निधीयन अनुपात (NSFR) बनाए रखना होगा। बैंकों से यह अपेक्षित है कि वे निवल स्थायी निधीयन अनुपात की आवश्यकता को निरंतर आधार पर पूरी करें तथा उन्हें इस प्रकार की गणना एवं निगरानी के लिए आवश्यक प्रणालियां लागू करनी चाहिए। दिसम्बर, २०१७ से आरंभ होने वाली प्रत्येक तिमाही के अंत में इस निवल स्थायी निधीयन अनुपात की रिपोर्ट भारतीय रिज़र्व बैंक को तिमाही की समाप्ति के १५ दिन के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा व्यापक पारवहन प्रणाली के लिए पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखतों की नयी श्रेणी की शुरुआत

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पूर्व-प्रदत्त भुगतान लिखतों की एक ऐसी नयी श्रेणी की शुरुआत की है जो व्यापक पारवहन प्रचालकों (जैसे कि मेट्रो या सड़क परिवहन) द्वारा जारी किए जाएंगे। इन कार्डों की शुरुआत प्रणाली में नकद लेनदेनों में कमी लाने तथा क्रमिक रूप से एक नकदी रहित अर्थव्यवस्था की दिशा में प्रस्थान करने हेतु की जा रही है। यह महसूस किया जाता था कि व्यापक पारवहन अवधि के लिए कम मूल्य वाले नकद भुगतानों का काफी बड़ी संख्या में संचालन करने वाले सीमित अवधि के पूर्व -प्रदत्त भुगतान लिखतों की एक अलग श्रेणी से कमतर नकदी वाले समाज निर्माण के देश के दर्शन के अनुरूप भारत में इलेक्ट्रॉनिक भुगतानों की दिशा में प्रस्थान करने में सहायता प्राप्त होगी। व्यापक पारवहन प्रणाली एक ऐसा नकदी क्षेत्र होती है जिसमें कम मूल्य वाले नकद भुगतान काफी बड़ी संख्या मे किए

जाते हैं। दिशानिर्देशों के प्रारूप के अनुसार इन पूर्व-प्रदत्त कार्डों का उपयोग उन व्यापारियों द्वारा / के स्थलों पर भी किया जा सकता है जिनके कार्यकलाप केवल पारवहन प्रणाली से सम्बद्ध हों / के परिसरों के भीतर संचालित होते हों। इन कार्डों की न्यूनतम वैधता अवधि उनके निर्गम की तिथि से छ: माह होगी। इसमें भारित की जा सकने वाली अधिकतम रकम २, ००० रुपये तक सीमित होगी और उक्त कार्ड पुनर्भरणीय होगा।

बैंक ऋण में ९.७०% की वृद्धि

बैंकिंग प्रणाली में धीमी गति से ऋण वृद्धि का क्रम जारी है। लगभग एक वर्ष से इसमें एक अंक अथवा निचले स्तर के दो अंकों की वृद्धि दर्ज हुई है। पिछले १२ जून के दिन बैंक ऋण में एक वर्ष पहले की इसी अवधि की तुलना में ९.७०% की वृद्धि हुई। २०१४-१५ में ९.०% के रूप में यह वृद्धि १७ वर्षों में सबसे कम थी, जबकि जमाराशियां केवल ११.४% बढ़ीं। आर्थिक गतिविधि के धीमी गति से चलने के कारण ऋण में धीमी गति से वृद्धि हो रही है। वर्षानुवर्ष आधार पर १२ जून को बैंक ऋण एक वर्ष पहले के ६०, ६२,४२७ करोड़ रुपये के मुकाबले बढ़कर ६६, ०२,८४० करोड़ रुपये हुए। पिछले १२ जून के दिन जमाराशियां एक वर्ष पहले की उसी अवधि के मुकाबले ११.७% बढ़ीं।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने वैध प्रमाण के रूप में दस्तावेज़ों की सूची विस्तारित की

भारतीय रिज़र्व बैंक ने उन दस्तावेज़ों की सूची विस्तारित कर दी है जिनका उपयोग पहचान और पते के वैध प्रमाण के रूप में किया जा सकता है। बिजली, पश्च अदायगी वाले मोबाइल, गैस के बिल (दो माह से अनधिक पुराने), सम्पत्ति अथवा नगरपालिका कर की रसीद, बैंक खाते या डाकघर बचत बैंक खाते के विवरण, विदेशी अधिकार क्षेत्र के सरकारी विभागों द्वारा जारी दस्तावेज़ और भारत में स्थित किसी विदेशी दूतावास या मिशन द्वारा जारी पत्र को अब वैध दस्तावेज़ के रूप में स्वीकार किया जाएगा । यहां तक कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन दस्तावेजों को भी उनमें पते का समावेश होने पर स्वीकार किया जा सकता है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को राज्य सरकारों, विनियामक निकायों आदि द्वारा नियोक्ता की ओर से जारी आवास आबंटन पत्र को स्वीकार करने की अनुमति प्रदान कर दी है। जहां ग्राहक उक्त उद्देश्य के लिए आधिकारिक रूप से वैध (OVD) कोई दस्तावेज़ प्रस्तुत करने में असमर्थ हों, वहां 'कम जोखिम' वाले ग्राहकों के मामले में पते के प्रमाण के सीमित उद्देश्य के लिए 'सरलीकृत उपायों' के तहत ऊपर वर्णित अतिरिक्त दस्तावेज़ों को आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ माना जाएगा।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने एअरलाइनों, वहनीय (सस्ती) आवासीय परियोजना के विकासकर्ताओं को विदेशी निधियों के उपयोग की अनुमति दी

भरतीय रिज़र्व बैंक ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र के लिए अनुमोदन मार्ग के तहत एक अनुमेय अंतिम उपयोग के रूप में कार्यशील पूंजी के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) की योजना की समीक्षा की है। यह

उन्हीं शर्तों एवं निबन्धनों पर ३१ मार्च, २०१६ तक जारी रहेगी। इसीप्रकार, कमतर लागत वाली वहनीय (सस्ती) आवास परियोजनाओं के लिए बाह्य वाणिज्यिक उधार जुटाने की योजना वित्त वर्ष २०१५-१६ के लिए जारी रहेगी।

वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से पांच वर्षीय पुनर्पूंजीकरण योजना तैयार करने के लिए कहा

वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से अपनी दीर्घावधिक वृद्धि योजनाओं को समर्थन प्रदान करने हेतु एक पांच-वर्षीय पूंजीकरण कार्यक्रम तैयार करने हेतु कहा है। यह कदम इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक पूंजी पर्याप्तता मानदंडों का पालन करें वार्षिक आवश्यकता के आधार पर पूंजी आबंटन की प्रथा से हट कर उठाया गया है। पांच-वर्षीय रूपरेखा में उस नकदी का ध्यान रखा जाना चाहिए जो निधीयन आवश्यकताओं को पूरी करने हेतु आंतरिक संसाधनों के माध्यम से सृजित की जा सकती है।

वित्त मंत्रालय द्वारा कार्ड भुगतानों पर कर में छूट देने की तैयारी

भारत व्यापारी प्रतिष्ठानों और उपभोक्ताओं को कर में छूट प्रदान करते हुए क्रेडिट और डेबिट कार्डों के उपयोग को प्रोत्साहित करने की की तैयारी कर रहा है। उच्च मूल्य वाले लेनदेनों को इलेक्ट्रॉनिक साधनों के माध्यम से किया जाना अनिवार्य किया जा सकता है तथा काले धन को रोकने के लिए एक निश्चित स्तर से अधिक के नकद भुगतानों पर अतिरिक्त शुल्क लगाया जा सकता है। वित्त मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारी प्रतिष्ठानों को एक यथोचित कर छूट या मूल्य-योजित कर (VAT) में १-२% की कटौती और अपने खर्चों के एक निश्चित अनुपात का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक साधनों से करने वाले उपभोक्ताओं को आय कर में छूट जैसे लाभ प्रस्तावित करते हुए विचार-विमर्श दस्तावेज का एक प्रारूप तैयार किया है। वर्तमान में बैंकों को किसी क्रेडिट कार्ड धारक द्वारा एक लेनदेन के रूप में किए गए सभी भुगतानों के योग की उस रकम के एक वर्ष में २ लाख रुपये से अधिक होने पर रिपोर्ट देनी होती है। उच्च मूल्य वाले लेनदेनों को सुगम बनाने के लिए २ लाख रुपये की इस उच्चतम सीमा को बढ़ाकर ५ लाख रुपये या उससे अधिक किया जा सकता है।

नये बैंक : बंधन को भारतीय रिज़र्व बैंक की अंतिम स्वीकृति मिली

बंधन फाइनैंसियल सर्विसेज को एक पूर्णरूपेण बैंक बनने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से अंतिम अनुमोदन प्राप्त हो गया है। इस नये बंधन बैंक का मुख्यालय कोलकाता में स्थित होगा और वह अगस्त में परिचालन आरंभ करेगा। देश की सबसे बड़ी सूक्ष्म वित्त संस्था, बंधन को एक बैंक स्थापित करने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक से सिद्धांतत: अनुमोदन प्राप्त हुआ था। बंधन के समस्त मौजूदा व्यवसाय और मौजूदा सभी ग्राहकों को उक्त बैंक को अंतरित कर दिया जाएगा। इसका मुख्य संकेन्द्रण खुदरा, ग्रामीण एवं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) पर होगा।

बैंकों को अशोध्य ऋणों की परेशानी कछ और समय तक झेलनी होगी

भारतीय रिज़र्व बैंक की अर्ध-वार्षिक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार दबावग्रस्त अग्रिमों द्वारा वृद्धिशील प्रवृत्ति के प्रदर्शन का क्रम जारी है। यद्यपि बैंकिंग प्रणाली को जोखिम में २०१४-१५ में सीमांत रूप से कमी आई है, तथापि आस्ति की गुणवत्ता और लाभप्रदता में निरंतर कमजोरी चिंता का कारण बनी हुई है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के मार्च, २०१५ के स्थूल दबाव-परीक्षण पर आधारित उक्त रिपोर्ट में यह चेतावनी दी गई है कि मूलभूत सुविधा क्षेत्र को और अधिक आघात से बैंकिंग प्रणाली महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होगी।

मुद्रा के अधीन सूक्ष्म उद्यमों के लिए १ लाख करोड़ रुपये संवितरित किए जाएंगे

वर्तमान वित्त वर्ष में केन्द्र ने अत्यधिक लघु व्यवसायों को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा योजना के तहत १ लाख करोड़ रुपये तक के ऋण की सुविधा प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 'शिशु' श्रेणी के अधीन यह लक्ष्य ४०,००० करोड़ रुपये, 'किशोर' के लिए ३५,००० करोड़ रुपये तथा 'तरुण' के तहत २५,००० करोड़ रुपये होगा। केन्द्रीय सरकार पहली श्रेणी को और ऋण सुगम बनाएगी, क्योंकि वह न केवल स्व-उद्यमशीलता अपितु रोज़गार के अधिक अवसरों को भी बढ़ावा देती है। यह संकल्पना सूक्ष्म स्तर पर निधीयन और गैर-निधीयन के माध्यम से उद्यमशीलता को बढ़ावा देती है। उक्त योजना के अधीन ऋणों की तीन श्रेणियां हैं 'शिशु' (५०,००० रुपये तक के ऋण),'किशोर' (५०,००० रुपये से अधिक, ५ लाख रुपये तक के ऋण) और 'तरुण' (५ लाख रुपये से अधिक, १० लाख रुपये तक के ऋण) जो बैंकों द्वारा संवितरित किए जाएंगे। उक्त रकम का पुनर्वित्तीयन एक नयी योजना के माध्यम से किया जाएगा, जो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है।

वित्त मंत्रालय द्वारा अशोध्य आस्तियों के सम्बन्ध में एकसमान आरक्षित कीमत पर जोर

यह सुनिश्चित करने के लिए कि आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियां (ARCs) किसी आस्ति को खरीदने से पहले बेहतर उचित कर्तव्यपरायणता बरतें भारतीय रिज़र्व बैंक ने अगस्त, २०१४ में यह अनिवार्य कर दिया था कि वे उनके द्वारा अभिगृहीत दबावग्रस्त / अशोध्य आस्तियों के समक्ष उनके द्वारा जारी की गई प्रतिभूति रसीदों के कम से कम १५% (पूर्ववर्ती ५% के बजाय) रखें। इस प्रकार आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियां बैंकों को उस ऋण की कीमत के १५% का भुगतान करती हैं, जिस पर बैंकों के साथ सहमति हुई हो और शेष बची रकम के लिए वे बैंक को इन आस्तियों की बिक्री किए जाने पर मुआवजे के रूप में प्रतिभूति रसीदें जारी करती हैं। वित्त वर्ष १५ में ऋणदाता बेची जाने वाली ९०,००० करोड़ रुपये से अधि की आस्तियों में से केवल २०,००० करोड़ रुपये की आस्तियां ही बेच पाए थे। २०१४ में बैंकों ने ४०,००० करोड़ रुपये की आस्तियां प्रदान की थीं और आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों ने ३३,००० करोड़ रुपये की रकम के ऋण खरीदे थे। अशोध्य ऋणों की बेहतर कीमत पर त्वरित बिक्री सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्रालय चाहता है कि ऋणदाता इन आस्तियों को आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों को बेचने के लिए

सहायता संघ का गठन करें। इसके अलावा, मंत्रालय उस मानदंड को भी शिथिल करने पर विचार कर रहा है कि कोई एकल प्रायोजक किसी आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के जरिये अथवा किसी विदेशी संस्थागत निवेशक के माध्यम से प्रेषण द्वारा ५० % से अधिक की शेयरधारिता न रखे। हालांकि, वह आस्ति पुनर्निर्माण कम्पनियों के शेयरधारिता के प्रतिमान में अधिकाधिक पारदर्शिता चाहता है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा शेयरों के क्रय-विक्रय में संपार्श्विकों के दुरुपयोग के विरुद्ध चेतावनी

भारतीय रिज़र्व बैंक ने समाशोधन सदस्यों द्वारा अभीष्ट से इतर उद्देश्यों के लिए संपार्श्विकों के उपयोग के विरुद्ध चेतावनी दी है, क्योंकि प्रतिभूतियां किसी बहुप्रयोज्य खाते में अंतरित कर दी जाती हैं। अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में भारतीय रिज़र्व बैंक ने इन पहलुओं पर निगरानी रखे जाने तथा सुधारात्मक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है, क्योंकि इन अंतरों को संपार्श्विकों का अवैध एवं कपटपूर्ण उपयोग माना जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने कहा है कि वर्तमान विनियामक ढांचे में समाशोधन सदस्य / दलाल से किसी ग्राहक से संपार्श्विक अंतरणों के ऐसे रिकार्ड रखना अपेक्षित है जिनका भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) / शेयर बाज़ारों द्वारा निरीक्षण किया जाना है। इसके अतिरिक्त किसी भी कम्पनी द्वारा और अधिक उधार लेने हेतु प्राप्त संपार्श्विक का पुनरुपयोग भारत में संभव नहीं है, क्योंकि विनियामक ढांचे में यह अपेक्षित है कि समाशोधन सदस्य इसका उपयोग केवल ग्राहक की संपार्श्विक आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु ही करे तथा स्वयं अपने या किसी अन्य ग्राहक के खाते की संपार्श्विक के रूप में नहीं। अतएव, अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (IOSCO) के जोखिम की संभावना २०१४-१५ में यथा-वर्णित पुनर्दृष्टिबंधक / पुनर्गिरवी के जोखिम भारतीय संदर्भ में महत्वपूर्ण नहीं हैं।

विनियामकों के कथन

लघु वित्त बैंकों और भुगतान बैंकों से बढ़ी प्रतिस्पर्धा

सेवा-रहित खण्डों की सेवा करने का लघु वित्त बैंकों (SFBs) का अधिदेश उन्हें सहकारी बैंकों का स्वाभाविक प्रतिस्पर्धी बना देता है। सहकारी बैंकों को वर्तमान में प्राप्त महत्वपूर्ण लाभ है विशिष्ट समुदायों और निचले स्तर वाले लोगों के साथ उनके गहन सम्बन्ध, जो उन्हें कम लागत वाली ऐसी जमाराशियां जो लाभदायक व्यवसाय की एक पूर्वापेक्षा होती हैं, जुटाने के लिए प्रस्तावित लघु वित्त बैंकों की तुलना में अच्छी स्थिति में रखता है। स्वरूप की दृष्टि से स्थानीय तथा स्थानीय समुदाय से जटिल रूप से अंतरवलयित होने के कारण सहकारिताओं को प्रस्तावित लघु वित्त बैंकों की अपेक्षा सुस्पष्ट लाभ प्राप्त है। उनके लिए उनके लक्ष्यांकित समुदाय में विश्वास पैदा करना तथा ग्राहकों कोअपने पास लाना अपेक्षाकृत आसान होता है। पिछले वर्षों में कुल कृषि एवं शहरी ऋणों में सहकारी बैंकों के अंश में रकम की दृष्टि से गिरावट आने के बावजूद वे छोटे आकार वाले ऐसे ऋणों की संख्या की दृष्टि से अगुवा हैं

जिनकी जिम्मेदारी वाणिज्यिक बैंक छोटे मूल्य वाले खातों के संचालन में निहित उच्च लागत के कारण लेने में हिचकिचाते हैं। हालांकि, लघु वित्त बैंक तथा भुगतान बैंक उच्च प्रौद्योगिकी के साथ सहकारी बैंकों के समक्ष महत्वपूर्ण चुनौती खड़ी कर सकते हैं। दूरसंचार कम्पनियों द्वारा प्रायोजित भुगतान बैंक इन बैंकों से विप्रेषण व्यवसाय को आसानी से हथिया सकते हैं। सहकारी बैंकों को इस स्पर्धात्मक हमले से अपने कार्य क्षेत्र को बचाने के लिए अपने दृष्टिकोण में बदलाव लाना होगा।

बैंकों को क्षमता निर्माण पर अधिक ध्यान देना चाहिए

भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री आर. गांधी ने मानव संसाधन विकास की प्रथाओं में सुधार लाकर तथा प्रशिक्षण की कार्यप्रणालियों और अंतराक्षेपण मे सुधार के जरिये क्षमता निर्माण के महत्व पर बल दिया है। उनका कहना है कि "बैंकिंग क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा हमारे बैंकिंग क्षेत्र को यह सुनिश्चित करना होगा कि परिणाम लाने की उसकी क्षमता निर तर विकसित होती रहे और वह उक्त क्षेत्र की घटनाओं के अनुरूप रहे। बैंकों को उक्त रिपोर्ट (क्षमता निर्माण पर रिपोर्ट, भारतीय रिज़र्व बैंक, २०१५) में की गई विविध सिफारिशों को अमल में लाकर इस प्रकार की क्षमता के निर्माण में सजग और विन्यस्त प्रयास करने होंगे।" क्षमता निर्माण की प्रक्रिया में महज प्रशिक्षण के अतिरिक्त अन्य चीजें भी शामिल होती हैं। इसमें मानव संसाधन विकास, संगठनात्मक विकास, संस्थागत एवं बैंक के स्तर पर विधिक ढांचे के विकास का भी समावेश होता है। इसके अलावा, क्षमता निर्माण की आवश्यकता बैंकों के शीर्ष प्रबन्धन के स्तर पर भी पड़ती है।

फेड के कठोर होने के कारण झल्लाहट की श्रृंखला संभव

भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन ने चेतावनी दी है कि इस वर्ष में आगे चल कर अमरीकी फेडरल रिजर्व की संभाव्य दर वृद्धि की पृष्ठभूमि में वैश्विक वित्तीय बाज़ारों में अस्थिर "झल लाहट" की एक श्रृंखला परिलक्षित हो सकती है। जहां पिछले वर्ष में विदेशी पोर्टफोलियो अंतर्वाह सुदृढ़ रहे हैं, वहीं उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के मौद्रिक नीति दृष्टिकोण में अनपेक्षित परिवर्तनों के परिणामस्वरूप इस प्रकार के प्रवाहों में वित्तीय बाज़ारों के खण्डों के लिए निहितार्थ के साथ मंदी / वापसी हो सकती है । भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कहा है कि इसके बावजूद पूर्ववर्ती घटनाओं की तुलना में अब भारत इस अस्थिरता से निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयार है।

बीमा

छूटों को स्वास्थ्य बीमा दावाकर्ताओं को तक पहुंचाएं : इर्डाई

बीमाकर्ताओं से स्वास्थ्य बीमा दावाकर्ताओं के लिए उत्तम एवं किफायती सेवाएं प्राप्त करने हेतु कहते हुए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) ने उन्हें अस्पतालों द्वारा दी जाने वाली

किसी भी छूट को पॉलिसीधारकों को प्रदान करने का निदेश दिया है। बीमाकर्ता और अन्य पक्ष के प्रशासक (TPAs) स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के तहत दावों के निपटारे के दौरान विविध नेटवर्क प्रदाताओं और नेटवर्क के बाहर वाले अन्य अस्पतालों से छूट प्राप्त कर रहे होंगे। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने यह विनिर्णय दिया है कि इन्हें स्वास्थ्य पॉलिसी के दावेदारों को प्रदान किया जाना चाहिए। उसने उनसे अस्पतालों के लिए प्रत्येक दावे के अंतिम अस्पतालीकरण बिल में इस प्रकार की सहमत छूटों को प्रदर्शित करना अनिवार्य बनाने सहित ऐसी कार्यविधियां लागू करने के लिए कहा है जिससे अस्पताल द्वारा बनाए गए वास्तविक बिल से पॉलिसीधारक अथवा दावेदार भी अवगत हो।

कृषि बीमा की व्याप्ति बढ़ाई जानी आवश्यक

भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार फसल बीमा व्यवसाय अन्तर्निहित रूप से अन्य बीमा क्षेत्र की तुलना में जोखिमपूर्ण और मंहगा होता है, क्योंकि फसल बरबाद होने की घटनाएं या दृच्छिक अथवा स्वतंत्र रूप से वितरित नहीं की जातीं, क्योंकि मौसम से सम्बन्धित घटनाएं सम्पूर्ण क्षेत्र एवं आबादी को एक ही समय में प्रभावित करती हैं। फसल बीमा को किसी कृषक द्वारा लिए गए बैंक ऋण से सम्बद्ध कर दिए जाने पर बैंक हानियों से बच जाता है (जिससे कृषक को भी अप्रत्यक्ष रूप से सहायता प्राप्त होती है)। यह व्यवस्था बीमा उत्पाद को कृषक के लिए एक अनिवार्य वर्धित लागत (add on cast) वाली बना देती है। फसल बीमा दावों के त्वरित निपटारे को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण उपज अनुमान, जोखिम मूल्यांकन तथा फसल बीमा हा नियों के निपटारे के लिए अनुमान के एक कुशल एवं विश्वसनीय साधन के रूप में उपग्रह परोक्ष संवेदक प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है।

अर्थव्यवस्था

२०१६ में भारत १० शीर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश स्थलों में शामिल

संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) की वैश्विक निवेश रिपोर्ट, २०१५ के अनुसार २०१६ में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में शीर्ष १० स्थलों में से एक बनने के लिए भारत छ स्थान आगे बढ़ गया है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी अंतर्वाह २०१६ में ३६ बिलियन अमरीकी डालर रहे,जो २०१३ के २८ बिलियन अमरीकी डालर से ३३% अधिक थे। वास्तव में देश में हुए अंतर्वाह ईरान और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (SARC) के सात अन्य सदस्य देशों सहित दक्षिण एशिया को हुए ६१.२ बिलियन अमरीकी डालर के ८३.५% रहे।

एशियाई विकास बैंक भारत को वार्षिक उधार बढ़ाकर ६ बिलियन अमरीकी डालर करेगा

भारत के दौरे पर आए एशियाई विकास बैंक के अध्यक्ष श्री तकेहिको नकाओ ने कहा है कि उच्चतर

वृद्धि एवं गरीबी घटाने के कार्य पर लक्ष्यांकित नयी पहलकदमी को सहायता प्रदान करने के लिए एशियाई विकास बैंक (ADB) ने भारत को दिए जाने वाले उधार को आगामी कुछेक वर्षों में औसतन ३ बिलियन अमरीकी डालर वार्षिक से बढ़ाकर ६ बिलियन अमरीकी डालर करने का निर्णय लिया है। भारत में एशियाई विकास बैंक का ध्येय एशियाई विकास बैंक की विस्तारित क्षमता का उपयोग करते हुए सॉवरेन और गैर-सॉवरेन उधार को २०१५-१७ तक के तीन वर्षों में मौजूदा ५-७ बिलियन अमरीकी डालर से बढ़ाकर २०१६ और २०१८ के बीच १०-१२ बिलियन अमरीकी डालर करना है।

नयी नियुक्तियां

नाम	**पदनाम / संगठन**
श्रीमती मीना हेमचंद्र	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक
श्रीमती विजयलक्ष्मी आर. अय्यर	सदस्य (वित्त एवं निवेश), भारतीय बीमा वि नियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI)
श्री आर.ए. शंकर नारायण	कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया
श्री जॉन क्रायन	मुख्य कार्यपालक, ड्यूश बैंक

उत्पाद एवं गठजोड़

संगठन	जिस संगठन के साथ गंठजोड़ हुआ	उद्देश्य
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लि.(NSIC)	बैंक ऋण सुसाध्यीकरण के तहत भारतभर की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।
फेडरल बैंक	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)	भुगतान करने हेतु स्कान-एन-पे- एक मोबाइल-आधारित पेमेन्ट एप - की शुरुआत करने के लिए।
बैंक ऑफ बड़ौदा	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)	रूपे प्लैटिनम डेबिट कार्ड , कार्ड से कार्ड तक निधि अंतरण तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए तुरंत मोबाइल भुगतान प्रणाली की शुरुआत करने के लिए, ताकि ग्राहकों को सु विधाजनक सेवा प्रदान की जा सके और परिचालनात्मक कुशलता बढ़ाई जा सके।

बैंक ऑफ इंडिया	मास्टरकार्ड	खर्चों का बेहतर प्रबन्धन करने में प्रयोक्ताओं की सहायता करने और चेकों एवं फुटकर नकदी से आगे बढ़ने तथा नवोन्मेषी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए भी।
आईसीआईसीआई बैंक	Alibaba.com	भारत में स्थित लघु एवं मध्यम उद्यमों को सरल व्यापार वित्त प्रदान करने के लिए।
कर्नाटक बैंक	इडेलवीस इंटीग्रेटेड कमोडिटी मैनेजमेंट लि.	किसानों को भण्डारण सुविधा प्रदान करने तथा गोदाम रसीदों के समक्ष वित्तीयन करने के लिए।
देना बैंक	मुद्रा बैंक	नये उद्यमियों और छोटे व्यवसायों का वित्तीयन करने के लिए।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम को बाज़ार मूल्यों में उतार-चढ़ावों अथवा दरों के किसी लेनदेन या करार में निर्धारित दरों या कीमतों से भारी अंतर आ जाने से पैदा होने वाले जोखिम के रूप में परिभाषित किया गया है। बाज़ार जोखिम के लिए पूंजीगत प्रभार बैंकिंग पर्यवेक्षण से सम्बन्धित बासेल समिति द्वारा १९८८ के पूंजी करार (बासेल I ढांचे) में जनवरी, १९९६ के बाज़ार जोखिम संशोधन के माध्यम से लागू किया गया था। बाज़ार जोखिमों को सुरक्षित करने के लिए पूंजी आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिए दो कार्यप्रणालियां उपलब्ध हैं : १) मानकीकृत मापन पद्धति : वर्तमान में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा कार्यान्वित की जा रही इस पद्धति में ऐसा 'अवरोधक' दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जो 'विशिष्ट जोखिम' के लिए पूंजी आवश्यकताओं को 'सामान्य बाज़ार जोखिम' से अलग कर देता है। 'विशिष्ट जोखिम का पूंजीगत प्रभार' किसी विशिष्ट जारीकर्ता से सम्बन्धित कारकों के कारण किसी विशिष्ट प्रतिभूति के मूल्य में किसी प्रतिकूल उतार-चढ़ाव के समक्ष संरक्षित करने हेतु तैयार किया गया है। सामान्य बाज़ार जोखिम प्रभार पोर्टफोलियो में ब्याज दर जोखिम के समक्ष संरक्षित रखने हेतु तैयार किया गया है। २) आंतरिक मॉडल दृष्टिकोण (IMA) : यह पद्धति बैंकों को उनकी उस मालिकाना आंतरिक पद्धति का उपयोग करने में समर्थ बनाती है जिसे बैंकिंग पर्यवेक्षण से सम्बन्धित बासेल समिति द्वरा नियत गुणात्मक एवं मात्रात्मक मानदंडों को आवश्यक रूप से पूरा करना चाहिए तथा जो पर्यवेक्षी प्राधिकारी के सुस्पष्ट अनुमोदन के अधीन होती है।

शब्दावली

राष्ट्रीय स्थिर निधीयन अनुपात (NSFR)

राष्ट्रीय स्थिर निधीयन अनुपात (NSFR) को आवश्यक स्थिर निधीयन की रकम की तुलना में उपलब्ध स्थिर निधीयन की रकम के रूप में परिभाषित किया गया है। इस अनुपात को निरंतर आधार पर कम से कम १००% के बराबर होना चाहिए। उपलब्ध स्थिर निधीयन को राष्ट्रीय स्थिर निधीयन अनुपात (NSFR) द्वारा निर्धारित एक वर्ष तक विस्तारित समय संस्तर पर विश्वसनीय मानी जानी वाली पूंजी और देयताओं के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है। किसी विशिष्ट संस्था से अपेक्षित इस प्रकार के स्थिर निधीयन की रकम चलनिधि की विशेषताओं और उस संस्था द्वारा र खी गई विविध आस्तियों की अवशिष्ट परिपक्वताओं और उनके साथ ही उसके तुलनपत्र -बाह्य (OBS) एक्सपोजरों का फलन होती है।

स्थिर निधीयन की उपलब्ध रकम

---------- > १००%

-

स्थिर निधीयन की ाावश्यक रकम

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

जुलाई और अगस्त २०१५ माह के लिए निर्धारित प्रशिक्षण कार्यक्रम

सं.	कार्यक्रम का नाम	तिथि	स्थल
१	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया - परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए प्रवेश कार्यक्रम	२ से ८ जुलाई, २०१५	मुंबई
२	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया - परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए प्रवेश कार्यक्रम	१६ से २१ जुलाई, २०१५	मुंबई
३	डीआरए ; टीसीएस के लिए टीटीपी	१४ जुलाई, २०१५	मुंबई
४	यूनाइटेड फाइनैंस कम्पनी, ढाका, बांग्लादेश के लिए आवास वित्त कार्यक्रम	२७ से २९ जुलाई, २०१५	मुंबई
५	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया - परिवीक्षाधीन अधिकारियों के लिए प्रवेश कार्यक्रम	३० जुलाई से ५ अगस्त, २०१५	मुंबई

संस्थान समाचार

१५

ग्राहक शिक्षण, जागरूकता और सशक्तिकरण पर गुवाहाटी में संगोष्ठी

३ जुलाई , २०१५ को गुवाहाटी में ग्राहक शिक्षण, जागरूकता और सशक्तिकरण पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया । उक्त संगोष्ठी का आयोजन भारतीय बैंक प्रबन्धन संस्थान (IIBM) के सहयोग से किया गया। उक्त संगोष्ठी के प्रति सदस्य बैंकों की अनुक्रिया उत्साहवर्धक रही और विविध बैंकों एवं कुछेक गैर-सरकारी संगठनों द्वारा लगभग १०० प्रतिनिधियों की प्रतिनियुक्ति की गई थी। उक्त संगोष्ठी में प्रतिष्ठित वक्ताओं में श्री एस.एस. बारिक, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, श्री चरण सिंह, कार्यपालक निदेशक, यूको बैंक, श्री एस.के. मागू, मुख्य महा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक , श्री एन.डी. पुरकायस्थ, मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, डॉ. अमिय शर्मा, कार्यपालक निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास निधि और डॉ. जे.एन. मिश्र, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैंस का समावेश था।

आर.के. तलवार स्मारक व्याख्यान

7ठा आर.के. तलवार स्मारक व्याख्यान नीति आयोग, भारत सरकार के उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनग ढ़िया द्वारा १V जुलाई, २०१५ को भारतीय स्टेट बैंक सभागृह में दिया जाएगा। (अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।)

कारबार संपर्कियों / कारबार सुसाधकों (प्रधान मंत्री जन-धन योजना) के लिए प्रमाणपत्र परीक्षा

संस्थान ने हाल ही में प्रधान मंत्री जन-धन योजना के तहत कारबार संपर्कियों / कारबार सुसाधकों के लिए एक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम की शुरुआत की है। उक्त परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम है "इनक्लूसिव बैंकिंग थ्रू बिजिनेस करेस्पॉडेंट - ए टूल फॉर पीएमजेडीवाई" उक्त पुस्तक पांच भाषाओं - (अंग्रेजी, हिन्दी, मराठी, तमिल और गुजराती) में प्रकाशित की गई है तथा वह कुछ समय में तेलुगू, उड़िया असमी, कन्नड़, मलयालम, बंगाली में भी उपलब्ध कराई जाएगी। अब तक उक्त परीक्षा के लिए ३, ९V२ अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराए हैं तथा आगामी परीक्षा 6 अगसत, २,०१५ को आयोजित होने वाली है। (अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।)

एपीएबीआई सम्मेलन के लिए आलेखों (दस्तावेज़ों) की मांग

संस्थान एशिया-प्रशांत अफ्रीकी बैंकिंग संस्थाओं के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन २०१५ का आयोजन बैंकिंग में नयी रूपावली (New paradigms in Banking) विषय-वस्तु पर करेगा। सम्मेलन की उक्त

विषय-वस्तु से सम्बन्धित किसी भी विषय पर आलेख आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.orgin देखें।

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों / महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्दिष्ट तिथि

१६

प्रश्नपत्र में समावेश के लिए संस्थान द्वारा किसी कैलेण्डर वर्ष के मई / जून के दौरान आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में विनियामक/ कों द्वारा जारी अनुदेश / दिशानिर्देश और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में उस वर्ष के केवल ३१ दिसम्बर तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही पर ही विचार किया
जाएगा।

प्रश्नपत्र में समावेश के लिए संस्थान द्वारा किसी कैलेण्डर वर्ष के नवम्बर / दिसम्बर के दौरान आयो जित की जाने वाली परीक्षाओं के सम्बन्ध में विनियामक/ कों द्वारा जारी अनुदेश / दिशानिर्देश और बैं किंग एवं वित्त के क्षेत्र में उस वर्ष के केवल ३० जून तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

संस्थान की परीक्षाओं के लिए अतिरिक्त अध्ययन सामग्री

संस्थान ने विविध परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के मुख्य (मास्टर) परिपत्रों से संग्रहीत अतिरिक्त अध्ययन सामग्री अपनी वेब साइट पर डाल रखी है। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। अधिक विवरण के लिए www.iibf.org.in. देखें।

नयी पहलकदमी

वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये भेजने के लिए सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास अपने ई-मेल पते अद्यतन करवा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

---

* भारत के समाचार पत्र पंजीकार (रजिस्ट्रार) के पास आरएनआई संख्या : ६९२२८/१९९८ के अधीन पंजीकृत * डाक पंजीकरण संख्या : एमएच / एमआर / उत्तर-पूर्व -२९७ २०१३-१५
* प्रत्येक महीने की २५वीं को प्रकाशित * प्रेषण तिथि प्रत्येक माह की २५ से ३० तक

विजन डाक्यूमेंट की हार्ड प्रतियों का प्रेषण

संस्थान जिन्होंने उसके पास अपने अपने ई-मेल आईडी पंजीकृत करा रखे थे उन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा मासिक आईआईबीएफ विजन अग्रेषित करता है। जिन सदस्यों ने अपने ई-मेल आईडी

संस्थान के पास पंजीकृत नहीं करवाए हैं, उनसे अनुरोध है कि वे उसे संस्थान के पास ٣٠ सितम्बर, ٢٠١٥ को या उससे पहले पंजीकृत करवा लें। **संस्थान अक्तूबर, ٢٠١٥ से सभी सदस्यों को आईआईबीएफ विजन की हार्ड प्रतियां भेजना बंद कर देगा।** सदस्यों से इस बात को ध्यान में रखने का अनुरोध है कि भविष्य में आईआईबीएफ विजन की केवल सॉफ्ट प्रतियां ही ई-मेल के जरिये भेजी जाएंगी।

बाज़ार की खबरें

भारित औसत मांग दरें

٨.٠٠
٧.٥٠
٧.٠٠
٦.٥٠
٦.٠٠
٥.٥٠
٥.٠٠

٠١/٠٦/١٥ ٠٣/٠٦/١٥ ٠٦/٠٦/١٥ ٠٩/٠٦/١٥ ١٣/٠٦/١٥ ١٥/٠٦/١٥ ١٦/٠٦/١٥ ١٩/٠٦/١٥
٢٠/٠٦/١٥ ٢٤/٠٦/١٥ ٢٥/٠٦/١٥

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड न्यूज़लेटर, मई, ٢٠١٥

भारतीय रिज़र्व बैंक की संदर्भ दरें

١١٠.٠٠
١٠٠.٠٠
٩٠.٠٠
٨٠.٠٠
٧٠.٠٠
٦٠.٠٠
٥٠.٠٠

٠١/٠٦/١٥ ٠٤/٠٦/١٥ ١١/٠٦/١٥ ١٦/٠٦/١٥ ٢٢/٠٦/١٥ ٢٥/٠٦/١٥ ٢٩/٠٦/١٥ ٣٠/٠٦/١٥

अमरीकी डालर	यूरो	१०० जापानी येन	पौंड स्टर्लिंग

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI)

बम्बई शेयर बाज़ार सूचकांक

१८

२८०००
२७८००
२७६००
२७४००
२७२००
२७०००
२६८००
२६६००
२६६००
२६४००
२६२००
२६०००

०१/०७/१५	०३/०७/१५	०८/०७/१५	१०/०७/१५	११/०७/१५	१७/०७/१५	२२/०७/१५	२९/९७/१५	३०/०७/१५

स्रोत : बम्बई शेयर बाज़ार (BSE)

डॉ. जे. एन. मिश्र द्वारा मुद्रित, डॉ. जे. एन. मिश्र द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा क्वालिटी प्रिंटर्स (I) , ६- बी मोहता भवन, ३री मंजिल, डॉ. ई. मोज़ेस मार्ग, वर्ली, मुंबई - ४०० ०१८ में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल-II,, टॉवर - १, ३री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - ४०० ०७० से प्रकाशित।
संपादक : डॉ. जे. एन. मिश्र

सेवा में
इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनैन्स
कोहिनूर सिटी, कॉमर्शियल- II, टॉवर - १, ३री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम)
मुंबई - ४०० ०७०

टेलीफोन : ९१-२२ २५०३ ९६०४ / ९६०७ फैक्स : ९१-२२-२५०३ ७३३३
तार : INSTIEXAM ई-मेल : iibgen@bom0 vsnl.net.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in.

आईआईबीएफ विज़न जुलाई, २०१५